गृह मंत्रालय
मांग संख्या 53
पुलिस

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2009-2010			संशोधित 2009-2010			बजट 2010-2011		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		360.35	25920.69	26281.04	315.17	25051.56	25366.73	404.84	22704.90	23109.74
पूंजी		*489.25*	*7039.57*	*7528.82*	*515.06*	*5018.75*	*5533.81*	*535.45*	*6295.02*	*6830.47*
जोड़		**849.60**	**32960.26**	**33809.86**	**830.23**	**30070.31**	**30900.54**	**940.29**	**28999.92**	**29940.21**
पुलिस										
1. केन्द्रीय रिजर्व पुलिस	2055	...	6765.14	6765.14	...	6656.90	6656.90	...	5560.86	5560.86
शिक्षा एवं प्रशिक्षण	2055	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25
	4055	...	208.47	208.47	...	181.69	181.69	...	184.76	184.76
	जोड़	*0.25*	*6973.61*	*6973.86*	*0.25*	*6838.59*	*6838.84*	*0.25*	*5745.62*	*5745.87*
2. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड	2055	...	276.80	276.80	...	285.63	285.63	...	312.18	312.18
	4055	...	37.00	37.00	...	35.00	35.00	...	40.40	40.40
	जोड़	*...*	*313.80*	*313.80*	*...*	*320.63*	*320.63*	*...*	*352.58*	*352.58*
3. सीमा सुरक्षा बल	2055	...	6291.93	6291.93	...	6152.93	6152.93	...	5273.08	5273.08
शिक्षा एवं प्रशिक्षण	2055	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25
	4055	...	195.96	195.96	...	175.96	175.96	...	198.00	198.00
	जोड़	*0.25*	*6487.89*	*6488.14*	*0.25*	*6328.89*	*6329.14*	*0.25*	*5471.08*	*5471.33*
4. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस	2055	...	1480.93	1480.93	...	1416.85	1416.85	...	1429.86	1429.86
शिक्षा एवं प्रशिक्षण	2055	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25
	4055	...	58.98	58.98	...	91.84	91.84	...	90.00	90.00
	जोड़	*0.25*	*1539.91*	*1540.16*	*0.25*	*1508.69*	*1508.94*	*0.25*	*1519.86*	*1520.11*
5. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	2055	...	2412.54	2412.54	...	2227.45	2227.45	...	2001.93	2001.93
शिक्षा एवं प्रशिक्षण	2055	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25
	4055	...	18.19	18.19	...	16.66	16.66	...	20.00	20.00
	जोड़	*0.25*	*2430.73*	*2430.98*	*0.25*	*2244.11*	*2244.36*	*0.25*	*2021.93*	*2022.18*
6. असम राइफल्स	2055	...	2208.86	2208.86	...	2063.75	2063.75	...	1903.28	1903.28
शिक्षा एवं प्रशिक्षण	2055	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25
	4055	...	120.00	120.00	...	104.20	104.20	...	111.00	111.00
	जोड़	*0.25*	*2328.86*	*2329.11*	*0.25*	*2167.95*	*2168.20*	*0.25*	*2014.28*	*2014.53*
7. सशस्त्र सीमा बल	2055	...	1415.76	1415.76	...	1270.22	1270.22	...	1166.50	1166.50
शिक्षा एवं प्रशिक्षण	2055	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25
	4055	...	142.09	142.09	...	124.00	124.00	...	128.00	128.00
	जोड़	*0.25*	*1557.85*	*1558.10*	*0.25*	*1394.22*	*1394.47*	*0.25*	*1294.50*	*1294.75*
8. सीपीएमएफ का विभागीय लेखाकरण संगठन	2055	...	...	...	...	26.11	26.11	...	52.80	52.80
9. राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड	2055	...	...	...	...	1.47	1.47	...	1.47	1.47
	4055	...	...	...	...	0.03	0.03	...	0.03	0.03
	जोड़	*...*	*...*	*...*	*...*	*1.50*	*1.50*	*...*	*1.50*	*1.50*
10. शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान	2055	22.17	49.93	72.10	13.42	66.18	79.60	15.76	93.24	109.00
	4055	6.20	4.24	10.44	6.65	10.49	17.14	6.20	5.89	12.09
	जोड़	*28.37*	*54.17*	*82.54*	*20.07*	*76.67*	*96.74*	*21.96*	*99.13*	*121.09*
11. आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता	2055	11.25	28.09	39.34	5.25	26.10	31.35	11.25	29.31	40.56
	4055	15.75	14.64	30.39	9.65	12.18	21.83	15.75	13.89	29.64
	जोड़	*27.00*	*42.73*	*69.73*	*14.90*	*38.28*	*53.18*	*27.00*	*43.20*	*70.20*
12. अन्तर्राज्यीय पुलिस वायरलेस योजना	2055	...	49.70	49.70	...	48.57	48.57	...	45.46	45.46
	4055	...	3.06	3.06	...	4.78	4.78	...	2.56	2.56
	जोड़	*...*	*52.76*	*52.76*	*...*	*53.35*	*53.35*	*...*	*48.02*	*48.02*
जोड़-पुलिस		**56.87**	**21782.31**	**21839.18**	**36.47**	**20998.99**	**21035.46**	**50.46**	**18664.50**	**18714.96**
13. राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो	2055	...	19.65	19.65	...	13.47	13.47	...	13.95	13.95
	4055	0.15	2.15	2.30	0.09	2.15	2.24	0.21	0.31	0.52
	जोड़	*0.15*	*21.80*	*21.95*	*0.09*	*15.62*	*15.71*	*0.21*	*14.26*	*14.47*

सं.53/ पुलिस

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2009-2010 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2009-2010 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2010-2011 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
14. दिल्ली पुलिस										
14.01 दिल्ली पुलिस	2055	10.00	2762.49	2772.49	10.00	2647.40	2657.40	10.00	2572.53	2582.53
	4055	...	116.54	116.54	...	104.65	104.65	...	139.00	139.00
	जोड़	*10.00*	*2879.03*	*2889.03*	*10.00*	*2752.05*	*2762.05*	*10.00*	*2711.53*	*2721.53*
14.02 एनसीआर मेगा नगरों में ट्रैफिक एवं सम्प्रेषण नेटवर्क का विकास और मॉडल ट्रैफिक सिस्टम	2055	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00	80.00	...	80.00
14.03 सम्प्रेषण अवसंरचना के विस्तार का उन्नयन	2055	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
14.04 दिल्ली पुलिस में प्रशिक्षण का उन्नयन	4055	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
14.05 दिल्ली पुलिस की अद्यतन प्रौद्योगिकी का उन्नयन	4055	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50	0.50	...	0.50
14.06 दिल्ली पुलिस में ट्रैफिक संकेतों की संस्थापना	4055	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00	...	2.00
जोड़-दिल्ली पुलिस		53.50	2879.03	2932.53	53.50	2752.05	2805.55	93.50	2711.53	2805.03
15. अन्य पुलिस व्यय	2055	...	17.41	17.41	...	18.22	18.22	...	21.65	21.65
	4055	...	0.52	0.52	...	0.49	0.49	...	0.95	0.95
	जोड़	*...*	*17.93*	*17.93*	*...*	*18.71*	*18.71*	*...*	*22.60*	*22.60*
16. कल्याण अनुदान	2055	...	55.00	55.00	...	76.45	76.45	...	60.00	60.00
17. अनुसंधान	2055	...	121.00	121.00	...	121.00	121.00	...	160.00	160.00
	4055	...	2779.00	2779.00	...	979.00	979.00	...	2400.00	2400.00
	जोड़	*...*	*2900.00*	*2900.00*	*...*	*1100.00*	*1100.00*	*...*	*2560.00*	*2560.00*
18. राज्यों को सहायता										
18.01 पुलिस बल का आधुनिकीकरण	2055	...	245.00	245.00	...	245.00	245.00	...	245.00	245.00
	3601	...	1005.00	1005.00	...	985.00	985.00	...	1020.00	1020.00
18.02 सुरक्षा संबंधी व्यय	3601	...	385.00	385.00	...	380.00	380.00	...	400.00	400.00
18.03 उग्रवादी गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसंरचना	3601	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00	100.00	...	100.00
18.04 अपराध और आपराधिक ट्रेकिंग नेटवर्क व प्रणाली	2055	164.43	...	164.43	104.00	...	104.00	175.06	...	175.06
18.05 इनसर्जेंसी का मुकाबला करने और आंतकवादी गतिविधि विरोधी स्कूलों के लिए सहायता	3601	10.50	...	10.50	10.50	...	10.50	10.76	...	10.76
18.06 इंडिया रिजर्व बटालियन	3601	...	15.00	15.00	...	20.00	20.00	...	25.00	25.00
जोड़-राज्यों को सहायता		274.93	1650.00	1924.93	214.50	1630.00	1844.50	285.82	1690.00	1975.82
19. संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता	2055	...	163.60	163.60	...	155.43	155.43	...	163.60	163.60
	3602	...	13.20	13.20	...	13.20	13.20	...	13.20	13.20
	जोड़	*...*	*176.80*	*176.80*	*...*	*168.63*	*168.63*	*...*	*176.80*	*176.80*
20. प्रवास संबंधी सुविधाएं										
20.01 सीमा पर जांच चौकिया	2055	...	19.00	19.00	...	18.05	18.05	...	15.00	15.00
20.02 समेकित जाँच चोकियों की स्थापना	4055	125.00	...	125.00	125.00	...	125.00	140.00	...	140.00
जोड़-प्रवास संबंधी सुविधाएं		125.00	19.00	144.00	125.00	18.05	143.05	140.00	15.00	155.00
21. राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आंतरिक सुरक्षा समाधान-बैंड विद्थ प्रभार	3602	...	...	...	30.00	...	30.00	0.01	...	0.01
22. पुलिस के लिये रिहाइशी आवास का निर्माण										
22.01 केन्द्रीय पुलिस संगठन	4055	152.00	238.06	390.06	174.62	232.60	407.22	205.40	239.08	444.48
22.02 दिल्ली पुलिस	4055	15.00	...	15.00	25.00	...	25.00	15.00	...	15.00

सं.53/ पुलिस

(करोड़ रुपए)

		बजट 2009-2010			संशोधित 2009-2010			बजट 2010-2011		
	मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
22.03 उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए बनाई गई परियोजनाओं/ योजनाओं के लिए एक मुश्त व्यवस्था	4552	120.00	...	120.00	120.00	...	120.00	98.00	...	98.00
जोड़-पुलिस के लिये रिहाइशी आवास का निर्माण		287.00	238.06	525.06	319.62	232.60	552.22	318.40	239.08	557.48
लोक निर्माण कार्य										
23. *पुलिस के लिये भवनों का निर्माण*										
23.01 केन्द्रीय पुलिस संगठन	4055	35.65	754.04	789.69	22.59	921.55	944.14	35.39	840.16	875.55
23.02 दिल्ली पुलिस	4055	16.50	...	16.50	28.46	...	28.46	16.50	...	16.50
जोड़-लोक निर्माण कार्य		**52.15**	**754.04**	**806.19**	**51.05**	**921.55**	**972.60**	**51.89**	**840.16**	**892.05**
24. सीमा प्रबंध भारत-बंगलादेश सीमा निर्माण कार्य										
24.01 कांटेदार बाड़ लगाना	4055	...	600.00	600.00	...	485.00	485.00	...	496.74	496.74
24.02 सड़कों का निर्माण	4055	...	476.23	476.23	...	344.00	344.00	...	448.00	448.00
जोड़-भारत-बंगलादेश सीमा निर्माण कार्य		...	1076.23	1076.23	...	829.00	829.00	...	944.74	944.74
24.03 भारत-पाकिस्तान सीमा निर्माण कार्य	4055	...	204.84	204.84	...	187.49	187.49	...	197.54	197.54
24.04 भारत-चीन सीमा निर्माण कार्य	4055	...	315.00	315.00	...	275.00	275.00	...	308.00	308.00
24.05 भारत-म्यांमार सीमा निर्माण कार्य	4055	...	36.00	36.00	...	18.00	18.00	...	35.00	35.00
24.06 भारत-नेपाल सीमा निर्माण कार्य	4055	...	2.00	2.00	...	...	...	...	2.00	2.00
24.07 भारत-भूटान सीमा निर्माण कार्य	4055	...	2.00	2.00	...	...	...	...	2.00	2.00
जोड़-सीमा प्रबंध		...	1636.07	1636.07	...	1309.49	1309.49	...	1489.28	1489.28
25. तटीय सुरक्षा	4055	...	187.26	187.26	...	187.26	187.26	...	192.71	192.71
26. सीमा निर्माण कार्यों का रखरखाव	2055	...	109.66	109.66	...	104.18	104.18	...	110.00	110.00
27. सीमा के बाहर चौकियां	4055	...	115.00	115.00	...	119.21	119.21	...	125.00	125.00
28. विविध मदें	4055	...	403.30	403.30	...	400.77	400.77	...	69.00	69.00
	7601	...	5.00	5.00	...	4.75	4.75	...	5.00	5.00
	जोड़	*...*	*408.30*	*408.30*	*...*	*405.52*	*405.52*	*...*	*74.00*	*74.00*
29. बटालियनों की तैनाती के लिए राज्यों को प्रतिपूर्ति	3601	...	10.00	10.00	...	12.00	12.00	...	15.00	15.00
कुल जोड़		***849.60***	***32960.26***	***33809.86***	***830.23***	***30070.31***	***30900.54***	***940.29***	***28999.92***	***29940.21***
ग. आयोजना परिव्यय	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. पुलिस	32055	729.60	...	729.60	710.23	...	710.23	842.29	...	842.29
2. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	120.00	...	120.00	120.00	...	120.00	98.00	...	98.00
जोड़		**849.60**	**...**	**849.60**	**830.23**	**...**	**830.23**	**940.29**	**...**	**940.29**

1. **केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल :** यह बल कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों की सहायता करता है और राज्यों द्वारा सहायता मांगे जाने पर विभिन्न प्रकार के आंतरिक सुरक्षा कार्य करता है। इस बल का प्राकृतिक आपदाओं आदि के समय राहत कार्यों के लिए भी प्रयोग किया जाता है।

2. **राष्ट्रीय सुरक्षा गार्डः** राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड सभी प्रकार के आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक विशिष्ट बल है। इसी पृष्ठभूमि के साथ, 1984 में संघीय बल के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का गठन किया गया था ताकि उन विशिष्ट स्थितियों से निपटा जा सके जिनमें विशेष दक्षता की आवश्यकता होती है और इस प्रकार सभी तरह के आतंकवाद के बढ़ते खतरे का मुकाबला किया जा सके।

3. **सीमा सुरक्षा बलः** यह प्रावधान सीमा सुरक्षा बल के लिए जम्मू और कश्मीर में वास्तविक नियंत्रण रेखा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में भारत पाक सीमा, भारत-बंगलादेश सीमा पर निगरानी के लिए किया गया है। सीमा क्षेत्र में होने वाले अपराधों को रोकता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा/नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ को भी रोकता है।

4. **भारत-तिब्बत सीमा पुलिसः** भारत-तिब्बत सीमा पुलिस उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में भारत-तिब्बत सीमा की चौकसी करने के लिए है।

5. **केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलः** केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और केंद्र/राज्य सरकारों की अन्य एजेंसियों की सम्पत्तियों की सुरक्षा करने में सहायता करता है। यह अधिकांश विमान पत्तनों की सुरक्षा के लिए भी उत्तरदायी है।

6. **असम राइफल्सः** असम राइफल्स देश का सबसे पुराना अर्ध सैनिक बल है जिसके लिए प्रावधान किया गया है। अधिकांश बल सेना के नियंत्रणाधीन पूर्वोत्तर में तैनात है।

7. **सशस्त्र सीमा बलः** यह प्रावधान स.सी. बल के लिए है जो दूसरा सीमा रक्षक बल है जिसे उत्तराखण्ड से सिक्किम तक भारत-नेपाल सीमा और भारत-भूटान सीमा पर तैनात किया गया है। इस बल को आंतरिक सुरक्षा कार्यों हेतु तैनात किया गया है।

सं.53/ पुलिस

8. **केंद्रीय पैरामिलीटरी बलों का विभागीय लेखाकरण संगठनः** यह प्रावधान सभी केंद्रीय पैरा मिलीटरी बलों के वेतन और लेखाकरण कार्यालयों को कवर करता है जिन्हें समन्वित प्रशासनिक और कार्यप्रचालन नियंत्रणाधीन पुनःगठित किया गया है।

9. **राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड (एनएटी ग्रिड):** यह प्रावधान नेट ग्रिड के लिए है जिसका उद्देश्य डेटा बेस को जोड़ना है जिससे आतंकवाद का मुकाबला करने में सहायता मिलेगी। इसका आशय आंतरिक सुरक्षा भय का मुकाबला करने की क्षमता को सुधारने हेतु सुविधा निर्माण करना है।

10. **शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधानः** इसके अंतर्गत सरदार बल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद, केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय; राष्ट्रीय अपराध शास्त्र एवं विधि विज्ञान संस्थान; पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो संबंधी व्यय शामिल है। इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण देने हेतु पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी के लिए भी प्रावधान शामिल है। यह प्रावधान बी.पी.आरएण्डडी, अर्थात (क) प्रशिक्षण तंत्रों, (ख) बेहतरदक्षता तथा जनता एवं पुलिस आदि के लिए अधिक आउटरीच हेतु अनु. व विकास योजनाओं की योजनाओं के लिए भी तथा जेलों को प्रशिक्षण कौशल, अवसंरचना, वैज्ञानिक मूल्यांकन आदि को उन्नत बनाने के लिए भी है। इसमें केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण कालेज की स्थापना, 6 नए आंचलिक शाखा सह केन्द्रीय डिटेक्टिव प्रशिक्षण स्कूलों के गठन तथा प्रत्येक संबंधित अंचल के लिए पुलिस और जेलों की प्रशिक्षण एवं अनुसंधान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मौजूदा तीन केन्द्रीय डिडेक्टिव प्रशिक्षण स्कूलों के उन्नयन के लिए भी प्रावधान है। यह प्रावधान अवैध मानव व्यापार प्रतिषेध यूनिट के प्रशिक्षण एवं स्थापना के माध्यम से अवैध मानव व्यापार रोकने के लिए विधि प्रवर्तन तंत्र की सुदृढ करने के लिए भी है।

11. **अपराध संबंधी जांच और सतर्कताः** इसके अंतर्गत केन्द्रीय अपराध विधि-विज्ञान प्रयोगशालाओं और प्रश्नगत दस्तावेज़ों के सरकारी परीक्षक संबंधी व्यय शामिल है। यह प्रावधान केन्द्रीय अपराध विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं और सरकारी प्रश्नगत प्रलेख परीक्षक कार्यालय के आधुनिकीकरण के लिए भी है जिसमें मानव संसाधन विकास व अनुसंधान तथा विकास योजनाओं तथा क्षेत्रीय अपराध विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं और डीएनए केन्द्रों की स्थापना पर जोर दिया जाएगा।

12. **अन्तरःराज्यीय पुलिस वायरलैस योजनाः** राज्यों से और राज्यों को संदेश प्रसारण के अतिरिक्त योजना का उद्देश्य माइक्रोप्रोसेसर नियंत्रित प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए अत्याधुनिक उपस्करों के प्रयोग की पद्धति को आधुनिक बनाना है।

13. **राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी):** प्रावधान एनसीआरबी के लिए है जो देश में हो रहे विभिन्न प्रकार के अपराधों से संबंधित आंकड़ों के संग्रहण/समेकन तथा प्रस्तुतीकरण के लिए जिम्मेदार है।

14. **दिल्ली पुलिस :** दिल्ली पुलिस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में कानून और व्यवस्था के रखरखाव व उसे लागू रखने के लिए जिम्मेदार है। जिम्मेदारी में यातायात प्रबंधन भी शामिल है। प्रावधान नैमितिक व्यय एवं दिल्ली पुलिस द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली विभिन्न योजनाओं जैसे एसीआर मेगा शहरों तथा आदर्श यातायात प्रणाली में यातायात और संचार नेटवर्क का विकास, संचार अवस्थापना का उन्नयन अथवा विस्तार, प्रशिक्षण का उन्नयन, नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रारंभ तथा यातायात संकेतों की स्थापना आदि के लिए है।

15. **अन्य पुलिस व्ययः** प्रावधान सीमा सुरक्षा बल के अंतर्गत टीयर स्मोक यूनिट, बीजलेखन संबंधी दस्तावेजों के उत्पादन-तथा अन्य सरकारों/विभागों को भुगतान किए गए प्रभारों के लिए है।

16. **कल्याणकारी अनुदानः** प्रावधान आंतकवादी आक्रमण/इनसर्जेंसी के मुकाबले में मारे गए केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों के कार्मिकों के रिश्तेदारों को अनुग्रह राशि के लिए भुगतान के लिए है।

17. **अनुसंधानः** अनुसंधान गतिविधियों को सहायता।

18. **राज्यों को सहायताः** योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को 100% सहायता अनुदानों के रूप में नकद व वस्तु रूप में सहायता प्रदान की जाती है जिसका उपयोग वाहनों की खरीद, बेतार उपस्करों, राज्यों में पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु कम्प्यूटर एवं आधुनिक उपस्करों तथा उग्रवादी प्रभावित क्षेत्रों में विशेष अवस्थापना का विकास, अपराध तथा अपराध ट्रेनिंग नेटवर्क प्रणाली की स्थापना, इनसर्जेंसी का मुकाबला करने तथा आंतक विरोधी स्कूलों, सुरक्षा से सम्बन्धित व्यय तथा इंडिया रिजर्व बटालियनों को खड़ा करने के लिए गैर-आवर्ती व्यय हेतु किया जाएगा।

19. **संघ राज्य क्षेत्रों को सहायताः** योजना के अंतर्गत, विधानमंडल सहित व रहित संघ शसित क्षेत्रों को पुलिस बल मजबूत बनाने के लिए नकद रूप में सहायता प्रदान की जाती है।

20. **आप्रवासन सेवाएंः** प्रावधान में सीमा जांच चौकियों के रख-रखाव तथा गैर-कानूनी आश्रय को रोकने के लिए समेकित जांच चौकियों की स्थापना पर हुए व्यय हेतु राज्य सरकारों की प्रतिपूर्ति किए जाने वाले प्रभार शामिल है।

21. **राष्ट्रमंडल खेल-बैन्डविड्थ प्रभार के लिए आंतरिक सुरक्षा हलः** प्रावधान राष्ट्रमंडल खेलों के संबंध में एमटीएनएल को बैन्डविड्थ प्रभारों के भुगतान पर होने वाले व्यय के लिए है।

22. **पुलिस के लिए रिहायशी मकानों का निर्माणः** प्रावधान केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों तथा दिल्ली पुलिस के लिए रिहायशी मकानों के निर्माण के लिए तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं के लिए किया गया है।

23. **पुलिस के लिए भवनों का निर्माणः** इसमें केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों और दिल्ली पुलिस के लिए भवनों के निर्माण संबंधी व्यय शामिल हैं।

24. **सीमा प्रबंधनः** प्रावधान भारत-बंग्लादेश तथा भारत पाक सीमाओं पर कंटीली तार लगाने, सड़कों के निर्माण, ओपीटावर के निर्माण, फ्लड लाइटिंग की स्थापना, हाईटैक निगरानी के प्रारंभ तथा पड़ोसी देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर ऐसी ही निर्माण संबंधी गतिविधियों के लिए है।

25. **तटीय सुरक्षाः** गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम के लिए बेहतर निगरानी हेतु देश के तटीय क्षेत्रों में मोबाइल जांच चोकियां स्थापित करने के लिए प्रावधान है।

26. **सीमा कार्य का रख-रखावः** प्रावधान भारत बांग्लादेश तथा भारत पाक सीमाओं पर रखरखाव कार्य के लिए है।

27. **सीमा पर स्थापित चौकियांः** प्रावधान विभिन्न केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों द्वारा भारत की अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर चौकियों को स्थापित करने के लिए है।

28. **विविध मदेंः** प्रावधान जल नौकाओं/विमानों की खरीद तथा ऋणों और अग्रिम राशियों के लिए है।

29. **बटालियनों की तैनाती के लिए राज्यों को प्रतिपूर्तिः** प्रावधान केन्द्र सरकार द्वारा की जाने वाली ड्यूटी के लिए बटालियनों की तैनाती के कारण होने वाले व्यय की विभिन्न राज्य सरकारों को प्रतिपूर्ति करने के लिए है।